

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग**

अधिसूचना

सं०सं०-9/आ०-09-17/2022 (स्वा०)..... / पटना, दिनांक

डॉ० कौशल किशोर प्रसाद, तत्कालीन सिविल सर्जन, किशनगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध पदीय कार्य के निर्वहन में शिथिलता बरतने एवं दायित्वों के निर्वहन में अभिरुचि नही लेने के आरोप में विभागीय ज्ञापन सं०-827(9) दिनांक-04.08.2023 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर बचाव का लिखित अभिकथन की माँग की गयी।

2. डॉ० प्रसाद के विरुद्ध गठित आरोप-पत्र के आलोक में डॉ० प्रसाद द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन के समीक्षोपरान्त युक्तियुक्त नहीं पाते हुए विभागीय संकल्प सं०-1290(9) दिनांक-12.12.2024 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(ख) के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच-प्रतिवेदन (अधिगम) को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-434(9) दिनांक-08.05.2025 द्वारा डॉ० प्रसाद से लिखित अभ्यावेदन की माँग की गयी, जिसके आलोक में प्रत्युत्तर समर्पित किया गया।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ० प्रसाद के प्रत्युत्तर के समीक्षोपरान्त पाया गया कि इनके द्वारा पदीय दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के प्रमाणित आरोप में बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(ख) के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि से 5% (पाँच प्रतिशत) पेंशन की राशि 3 (तीन) वर्षों तक कटौती करने का विनिश्चय किया गया।

5. विभागीय पत्रांक-606(9) दिनांक-16.06.2026 के द्वारा डॉ० प्रसाद के विरुद्ध अधिरोपित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की माँग की गयी, जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-1690 दिनांक-13.08.2026 द्वारा सहमति दी गयी।

6. अतः डॉ० कौशल किशोर प्रसाद, तत्कालीन सिविल सर्जन, किशनगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(ख) के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि से 5% (पाँच प्रतिशत) पेंशन की राशि 3 (तीन) वर्षों तक कटौती करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

7. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ०-09-17/2022(स्वा०) /पटना, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ०-09-17/2022(स्वा०) 1065(9) /पटना, दिनांक:-21.08.26

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी किशनगंज/क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ/सिविल सर्जन, किशनगंज/कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/08/26
क०प०स०

प्रतिलिपि:—माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—डॉ० कौशल किशोर प्रसाद, तत्कालीन सिविल सर्जन, किशनगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त वर्तमान पता हरिश्चन्द्र तालाब, पोस्टमार्टम रोड, डाकघर+थाना-नवादा, जिला-नवादा-805110 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—Department PMU Lead/आईटी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1005(9)
21.8.26

अवेक
25/08/2026
सरकार के अवर सचिव।